उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांकः 41654-58 /वसूली/2017–18 दिनाँकः 16.3.18

समस्त मण्डल पर्यवेक्षक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
प्रधान कार्यालय/प्रशि0केन्द्र लखनऊ।

आप अवगत है कि आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता महोदय द्वारा बैंक के देयों की दि0 13.03.18 को प्रस्तावित वसूली समीक्षा बैठक कतिपय कारणवश सम्पन्न नहीं हो सकी थी। उक्त बैठक के सम्बन्ध में अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(विकास) सहकारिता उ0प्र0 ने अपने पत्र दि0 13.03.2018 द्वारा बैंक देयों की वसूली समीक्षा बैठक आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0प्र0, द्वारा दि0 27.03.2018 को आहुत किये जाने के सम्बन्ध में सूचित किया गया है। बैठक में **विशेष रूप से विभागीय(95'क') एवं आर0सी0 की कार्यवाही से आच्छादित बकायेदारों एवं शाखा के 50 बड़े बकायेदारों के सम्बन्ध में व्यापक समीक्षा किये जाने की सम्भावना है।**

उक्त के क्रम में वसूली की वर्तमान स्थितियों के दृष्टिगत वसूली में आशानुरूप/लक्ष्यानुरूप प्रगति लाये जाने के उद्देश्य से अधोलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए वसूली में उत्तरोत्तर गति लाना सुनिश्चित करें–

1. आप द्वारा आवंटित मण्डल के कार्यक्षेत्र की शाखाओं का सप्ताह में कम से कम दो(02) दिन नियमित भ्रमण अवश्य किया जाय।
2. प्रत्येक शाखा के 50 बड़े बकायेदारों का चिन्हांकन किया जा चुका है जिन पर लगभग बैंक का रू0 650.00 करोड़ बकाया लगा हुआ है। शाखा के भ्रमण के दौरान इन बकायेदारों से वसूली के सम्बन्ध में गहन समीक्षा एवं वसूली की सम्भावनाओं एवं कृत कार्यवाहियों के सम्बन्ध में सम्बन्धित शाखा के समस्त स्टाफ के साथ विचार–विमर्श अवश्य किया जाय।
3. एक लाख से बड़े, शून्य वसूली वाले ऋण खातों एवं भूमि विक्रित वाले बकायेदारों की वसूली प्रगति की समीक्षा अवश्य की जाय।
4. **अपर मुख्य सचिव सहकारिता उ0प्र0 शासन,** महोदय के स्तर से समस्त मण्डलायुक्त को निर्गत अर्द्ध0शा0पत्र के क्रम में मण्डलायुक्त से सम्पर्क कर सहयोग हेतु अनुरोध किया जाय।
5. **आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0प्र0,** महोदय के स्तर से समस्त जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को निर्गत पत्र के क्रम में प्रदेश के जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क कर सहयोग हेतु अनुरोध किया जाय।
6. **आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उ0प्र0** के स्तर से समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी को निर्गत पत्र के क्रम में यथा आवश्यक सहयोग प्राप्त करने के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से मिलकर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
7. **आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0प्र0,** महोदय के स्तर से प्रदेश के समस्त संयुक्त आयुक्त एवं सहायक निबन्धक को निर्गत पत्र के सम्बन्ध में धारा 95'क' से आच्छादित बकायेदारों के सम्बन्ध में अमीनों द्वारा की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में समीक्षा कराई जाय।
8. **अपर मुख्य सचिव सहकारिता, उ0प्र0 शासन, आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता महोदय** के स्तर से निर्गत पत्रों के क्रम में जनपद/मण्डल के संयुक्त आयुक्त एवं सहायक निबन्धक से सम्पर्क कर

जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त की अक्ष्यक्षता में समीक्षा बैठकें आहुत कराते हुए वसूली में उत्तरोत्तर प्रगति लायें।

उक्त बिन्दुओं का अनुपालन करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, महोदय के बैठक से पूर्व अपने आवंटित मण्डल के कार्यक्षेत्र का भ्रमण कर लें, तथा अद्यतन प्रगति से अधोहस्ताक्षरी का अवगत करना सुनिश्चित करें।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके कुशल निर्देशन में शाखाओं के समस्त स्टाफ को वसूली के प्रति प्रेरित करते हुए बैक देयों की वसूली लक्ष्यानुरूप/आशानुरूप करायेगें।

(के0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त **सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0**, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस बैंक के देयों की वसूली में अपना सहयोग प्रदान करते हुए जिलाधिकारी महोदय के स्तर से इस बैंक के देयों की पाक्षिक रूप से समीक्षा बैठकें आहुत करायें।
2. समस्त **संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक सहकारिता उ0प्र0**, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस बैंक के देयों की वसूली में अपना सहयोग प्रदान करते हुए मण्डलायुक्त महोदय के स्तर से इस बैंक के देयों की पाक्षिक/मासिक रूप से समीक्षा बैठकें आहुत करायें।
3. उप महाप्रबन्धक (कम्प्यूटर), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0 लखनऊ, को ई0मेल कराने हेतु।
4. निजी सचिव आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता महोदय के अवलोकनार्थ।

प्रबन्ध निदेशक